



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-06052022-235598
CG-RJ-E-06052022-235598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2003]
No. 2003]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 2108(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना खातीपुरा, जयपुर के उपग्रह स्टेशन के रूप में नई टर्मिनल सुविधा के विकास हेतु के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-II (सांगानेर), जिला-जयपुर राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना खातीपुरा जयपुर के उपग्रह स्टेशन के रूप में नई टर्मिनल सुविधा के विकास हेतु जिला जयपुर में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम :- जयपुर, तालुका का नाम :- सांगानेर

क्र. स.	जिला का नाम	ताल्लुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या		प्रकार	प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर
1	जयपुर	सांगानेर	कल्याणपुरा उर्फ़ खातीपुरा	1050		निजी	बारानी - 2	59
2			कल्याणपुरा उर्फ़ खातीपुरा	1048		निजी	चाही- 2 जाव-2	171
3			कल्याणपुरा उर्फ़ खातीपुरा	993		निजी	बारानी - A	2
कुल भूमि अवासि - खातीपुरा गाँव								232
4	जयपुर	सांगानेर	खो-नागोरियान	4466		निजी	चाही- 1 जाव-1	820
कुल भूमि अवासि – खो-नागोरियान गाँव								820
5	जयपुर	सांगानेर	गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1391		जे.डी.ए.	गै. मु.	827
6			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1575		रा.हा.बो	गै. मु. रा.	28
7			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1564		रा.हा.बो	चाही- 1 जाव-1	74
8			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1562		रा.हा.बो	गै. मु.	05
9			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1531		रा.हा.बो	गै. मु.	3175
10			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1531/1778		रा.हा.बो	बारानी - 2	599
11			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1530		रा.हा.बो	बारानी - 2	714
12			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1499		रा.हा.बो	गै. मु.	1785
13			गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा	1498		निजी	चाही- 1 जाव-1	1492
कुल भूमि अवासि – गोविन्दपुरा उर्फ़ रोपाडा गाँव								8699
कुल भूमि अवासि								9751

[फा. सं. उपरे/मु./स.& नि./ 443599200 भाग-1]

वृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 5th April, 2022

S.O. 2108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, of the Special Railway Project, of Namely: Khatipura Development of the New Terminal Facility as Satellite Station in District Jaipur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Division officer, Jaipur-II,(Sanganer) District Jaipur, Rajasthan, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Special Railway Project, namely, Khatipura Development of the New Terminal Facility as Satellite Station to Jaipur (Rajasthan) in the District- Jaipur of the State of Rajasthan.

Name of District:- Jaipur.

Name of Tehsil:- Sanganer.

S.N.	Name of the Distt.	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey No.	Type	Nature	Area in square meter
1	Jaipur	Sanganer	Kalyanpura urf Khatipura	1050	Private	Barani - 2	59
2			Kalyanpura urf Khatipura	1048	Private	Chahi- 2 Jaav-2	171
3			Kalyanpura urf Khatipura	993	Private	Barani - A	2
Total Land required from Khatipura Village							232
4	Jaipur	Sanganer	Kho- Nagoriyan	4466	Private	Chahi- 1 Jaav-1	820
Total Land required from Kho- Nagoriyan Village							820
5	Jaipur	Sanganer	Govindpura urf Ropada	1391	J.D.A.	Gair Mumkin	827
6			Govindpura urf Ropada	1575	R.H.B.	Gair Mumkin Rasta	28
7			Govindpura urf Ropada	1564	R.H. B.	Chahi- 1 Jaav-1	74
8			Govindpura urf Ropada	1562	R.H. B.	Gair Mumkin	05
9			Govindpura urf Ropada	1531	R.H. B.	Gair Mumkin	3175
10			Govindpura urf Ropada	1531/1778	R.H. B.	Barani - 2	599
11			Govindpura urf Ropada	1530	R.H. B.	Barani - 2	714
12			Govindpura urf Ropada	1499	R.H. B.	Gair Mumkin	1785
13			Govindpura urf Ropada	1498	Private	Chahi- 1 Jaav-1	1492
			Total Land required from Govindpura Ropada Village				8699
Grand Total							9751

[F. No. NWR/HQ/S&C 443599200 Vol.I]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Const.)